न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 02/2020

तारीख रजू 09.01.2020

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. विजयशंकर शर्मा पुत्र मदन मोहन शर्मा, निवासी जी–134, रिको औद्योगिक क्षेत्र खेरदा, सवाई माधोपुर (मौके पर विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स विजय फूड इन्डस्ट्रीज, जी–134, रिको औद्योगिक क्षेत्र खेरदा, सवाई माधोपुर

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 09.07.2024**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 03.08.2019 को समय 10.50 ए.एम. पर मैसर्स विजय फूड इन्डस्ट्रीज, जी–134, रिको औद्योगिक क्षेत्र खेरदा, सवाई माधोपुर पर पहुंचा। वहां विजयशंकर शर्मा पुत्र श्री मदनमोहन शर्मा निवासी जी–134, रिको औद्योगिक क्षेत्र खेरदा, सवाई माधोपुर (मौके पर विक्रेता एवं फर्म मालिक) उपस्थित था कौ आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में परिसर का निरीक्षण किया परिसर में एक डिप फ्रिज में स्टील की एक टंकी में खाद्य पदार्थ दही लगभग 10 किलोग्राम विक्रय हेतु रखा हुआ था जिसका निरीक्षण करने पर सबस्टेण्डर्ड का शक होने पर विक्रेता खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र की छायाप्रति मौके पर पेश की। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना प्रपत्र 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ दही 01 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 40/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ दही 01 किलोग्राम को 04 कांच की शीशीयों में भरकर 04 नमूना भाग तैयार किये एवं फार्मलीन की 20–20 बूंदे डालकर अच्छी तरह से बंद किया। आवेदक चार लेबल तैयार किये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया एवं चारों नमूना भागों को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच 1662 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमुानसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता विजय शंकर शर्मा पुत्र मदन मोहन ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबन्द डिब्बा एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की 2 प्रतियां एक लिफाफे में सील मोहर कर, आउटर कवर में सील बन्द डिब्बा व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री मोहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर (राजस्थान) के यहॉ जमा करवाये जिनकी रसीद प्राप्त की। नूमने के दो सील बंद डिब्बे (ii व iii पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का शेष एक सील बन्द डिब्बा (iv पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर आवेदक के द्वारा डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/2067 दिनांक 03.09.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1774/एक्ट/2019/1314 दिनांक 16.08.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु दही का नमूना सबस्टेण्डर्ड (Under Section 3(1)(zx)) of the food safety and standard act 2006 प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx)) खाद्य पदार्थ दही का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ दही का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त जरिये अधिवक्ता बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की फर्म से दही का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा अवमानक स्तर (Sub Standard Food) का माना गया है। प्रार्थी से अनजाने में गलती हुई है। अन्त में अभियुक्त ने प्रकरण में न्यूनत्तम शास्ति राशि लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1774/एक्ट/2019/1314 दिनांक 16.08.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ दही सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का पाया गया है। अभियुक्त द्वारा बहस में जुर्म स्वीकार किया है तथा प्रकरण को न्यूनतम शास्ति राशि अधिरोपित कर प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड स्तर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के **खाद्य वस्तु दही** का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 25,000/—रू0 (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगणों को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर